

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक—एफ 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी, महाराणा भूपाल राज, चिकित्सालय उदयपुर की अभिशंषा के आधार पर श्री निकुन्ज शाह, व्याख्याता रसायन विज्ञान, राउमावि परतापुर जिला बांसवाडा को उनके आवेदन दिनांक 10.08.18 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6) की दर से जो रुपये 600/— (अक्षरों रुपये छः सो मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/सा/संस्था/सी-4/रजीगृ/विकलांग वाहन भत्ता/2019-20 दिनांक 27/05/19

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत।

1. संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, बांसवाडा
3. प्रधानाचार्य राउमावि परतापुर बांसवाडा
4. श्री निकुन्ज शाह व्याख्याता रसायन विज्ञान राउमावि परतापुर बांसवाडा
5. रक्षित पत्रावली

(6) सिस्टम एनेलिसिस करप्टर ऊज्जागो गोपलप्रदाका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर